झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वनभूमि–05/2020– 1488 व०प०, राँची, दिनांक– 10/06/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 के0वी0 डी0/सी0 पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल–169.0098 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल–7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल–57.3603 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–231 दिनांक–20.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त प्रस्ताव में समीक्षोपरांत निम्नांकित त्रुटियाँ/कमियाँ परिलक्षित हो रही हैः–

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित प्रपत्र Form-A Part-I में विषयक परियोजना हेतु अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकबा 172.0795 हे0 अंकित है। साथ ही तीनों वन प्रमंडलों से संबंधित फोल्डर में रक्षित Form-A Part-I में तीन वन प्रमंडलों में अपयोजित होने वाली वनभूमि के रकबा की विवरणी में भिन्नता है।

(2) प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का Authenticated Land schedule संलग्न है, परन्तु राँची जिलान्तर्गत खेलारी अंचल तथा रामगढ़ जिलान्तर्गत मौजा–दाड़ीडीह का Authenticated Land schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(3) राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट–I में समर्पित प्रस्ताव में उल्लिखित ग्रामवार रकबा तथा Land schedule में उल्लिखित ग्रामवार रकबा में अन्तर है। कई ग्रामों में Land schedule में उल्लिखित रकबा पार्ट–I में उल्लिखित रकबा से ज्यादा है और कई ग्रामों में यह कम है।

(4) राँची वन प्रमंडल क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि के Land schedule के अनुसार प्रस्तावित अधिसूचित वनभूमि का रकबा 36.9113 हे0 तथा जंगल झाड़ी भूमि का रकबा 20.449 हे0 उल्लिखित है परन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल के site inspection report तथा प्रासंगिक पत्र में राँची वन प्रमंडल क्षेत्रान्तर्गत अपयोजित होने वाली अधिसूचित वनभूमि का रकबा 36.9223 हे0 तथा जंगल–झाड़ी भूमि का रकबा 20.438 हे0 उल्लिखित है।

(5) रामगढ़ जिलान्तर्गत प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है परन्तु मौजा–कोतो, प्लॉट संख्या–01 में Land schedule के अनुसार प्रस्तावित 0.91 हे0 के स्थान पर मात्र 0.62 हे0 का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत है तथा मौजा–दाड़ीडीह तथा रोचाप का NOC संलग्न नहीं है।

लातेहार जिलान्तर्गत प्रस्तावित भूमि में मौजा–निन्दरा तथा बेलगढ़ा राँची वन प्रमंडल के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। राँची वन प्रमंडल से संबंधित फोल्डर में प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि का आयुक्त, पलामू द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र को उपायुक्त, लातेहार के पत्र दिनांक–16.10.2019 द्वारा रद्द किया गया है। लातेहार जिलान्तर्गत अन्य मौजे लातेहार वन प्रमंडल के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित हैं। लातेहार वन प्रमंडल से संबंधित फोल्डर

में प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि में से कतिपय जंगल–झाड़ भूमि का आयुक्त, पलामू द्वारा दिनांक–19.03.2018 को निर्गत NOC रक्षित है, जिसका उल्लेख प्रासंगिक पत्र की कंडिका–13 में उल्लिखित Table में किया गया है। परन्तु उपायुक्त, लातेहार के ज्ञापांक–353 दिनांक–25.05.2019 द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है कि C.S/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित R.S. का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने अथवा अपठनीय होने के कारण वर्ष 2005 में हुए R.S. के अनुरूप विवरणी दी गई है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

इसी प्रकार राँची वन प्रमंडल के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित लातेहार जिला के मौजा–निन्दरा एवं बेलगढ़ा की जंगल–झाड़ भूमि के संबंध में भी उपायुक्त, लातेहार के ज्ञापांक–894 दिनांक–16.10.2019 द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिया गया है कि C.S/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित R.S. का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने अथवा अपठनीय होने के कारण वर्ष 2005 में हुए R.S. के अनुरूप विवरणी दी गई है तथा यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि वर्ष 2005 के R.S के अनुसार उक्त भूमि वनभूमि की श्रेणी में नहीं आता है।

उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता भी दी गई है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि वनभूमि की श्रेणी में आएगा तो वे FC Act के तहत् स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में विभागीय आदेश संख्या–4715 दिनांक–27.11.2018 द्वारा दिशा–निदेश निर्गत है।

(6) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि के संबंध में राँची वन प्रमंडल द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण–पत्र में मौजा–होयर के प्लॉट संख्या–479 का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रस्ताव के साथ CWLW का मंतव्य संलग्न नहीं है।

(8) प्रासंगिक पत्र तथ पार्ट–II के अनुसार वनभूमि में वृक्षों की कुल संख्या–9581 प्रस्तावित है, परन्तु संलग्न फोल्डर में रक्षित वृक्षों की गणना सूची के अनुसार वृक्षों की संख्या–9206 है।

(9) प्रस्ताव के साथ FRA संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न है, परन्तु राँची जिलान्तर्गत मौजा–लोधमाना, ओंझासाड़म तथा हिरिंग के ग्रामसभा की कार्यवाही प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :–

(i) प्रस्ताव के पार्ट–I में Online कुल रकबा तथा Village wise रकबा का सुधार करते हुए पार्ट–I की Hard copy.

(ii) राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा, Land schedule का रकबा तथा अनुशंसित रकबा को मिलान कर, यदि आवश्यक हो, तो सुधार करते हुए प्रतिवेदन।

(iii) राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के संबंध में खेलारी अंचल तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–दाड़ीडीह का Authenticated land schedule.

(iv) रामगढ़ जिलान्तर्गत मौजा–कोतों के पूर्ण रकबा तथा मौजा–रोचाप एवं दाड़ीडीह में प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि का उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

(v) विभागीय आदेश संख्या–4715 दिनांक–27.11.2018 तथा उपायुक्त, लातेहार द्वारा दिनांक–25.05.2019 तथा दिनांक–16.10.2019 को निर्गत प्रमाण पत्रों के आलोक में लातेहार जिलान्तर्गत अवस्थित जंगल–झाड़ भूमि प्रस्ताव का पार्ट होगा अथवा नहीं। यदि यह प्रस्ताव का पार्ट होगा तो पूर्ण जंगल–झाड़ भूमि का उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र और यदि यह प्रस्ताव का पार्ट नहीं होगा तो प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में संशोधन अपेक्षित होगा।

(vi) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–होयर के प्लॉट संख्या–479 चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

(vii) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक (CWLW) का मंतव्य।

(viii) गणना सूची के अनुरूप पार्ट–II में अंकित वृक्षों की संख्या में सुधार।

(ix) राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–लोथमाना, ओझासाड़म एवं हिरिंग से संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही।

(x) प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना सूची से नोडल पदाधिकारी के पत्र तथा पार्ट–II में उल्लिखित वृक्षों की संख्या को मिलान कर वृक्षों की संख्या में सुधार।

विश्वासभाजन

9/6/2020

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–05/2020– 1488 राँची, दिनांक– 10/06/2020

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंधक, पावरग्रिड, 360/ए0, ममता भवन, रोड नं0–4बी0, अशोक नगर, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/2020

विशेष कार्य पदाधिकारी

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com